



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122020-223558
CG-DL-E-07122020-223558

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 622]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 7, 2020/अग्रहायण 16, 1942

No. 622]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 7, 2020/AGRAHAYANA 16, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2020

सं. 46/2020 सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 753(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “2 एमएम से 12 एमएम (दोनों मोटाई शामिल) की मोटाई वाले क्लियर और साथ ही साथ टिंटेड किस्म वाले फ्लोट ग्लास, (ग्रीन ग्लास से भिन्न), लेकिन इनमें रिफ्लेक्टिव ग्लास, प्रोसेस्ड ग्लास जो कि सजावट, इंडस्ट्रियल एथवा ऑटोमोटिव उद्देश्यों में प्रयोग होता है, शामिल नहीं है” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 7005 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 47/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 8 सितंबर, 2015, जिसे सा.का.नि. 687(अ), दिनांक 8 सितंबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1955 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/2/2020- डीजीटीआर, दिनांक 10 फरवरी, 2020 जिसे दिनांक 10 फरवरी, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है;

और जबकि केन्द्र सरकार ने विषयगत देश में उत्पादित और निर्यात होने वाले विषयगत माल पर लगे प्रतिपादन शुल्क को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 29/2020 सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 2 सितम्बर, 2020, जिसे सा.का.नि. 545(अ), दिनांक 2 सितम्बर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था; के तहत 7 दिसम्बर 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ा दिया था;

और जबकि केन्द्र सरकार उक्त समीक्षा में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पायी है, अतः वह यह समझती है कि विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित विषयगत वस्तु पर लगे प्रतिपादन शुल्क को और आगे भी जारी रखे जाने की जरूरत है।

अतः अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 47/2015 सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 8 सितम्बर, 2015, जिसे सा.का.नि. 687(अ), दिनांक 08 सितम्बर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में, अंकों और शब्दों “7 दिसम्बर 2020” के स्थान पर अंकों और शब्दों “6 फरवरी 2021” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 354/115/2020-टीआरयू]

जैनेन्द्र सिंह कंधारी, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 47/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) (दर) दिनांक 8 सितम्बर, 2015 को सा.का.नि. 687 (अ) दिनांक 8 सितम्बर 2015, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 29/2020-सीमाशुल्क (एडीडी), 2 सितम्बर, 2020 जिसे सा.का.नि. 545 (अ), दिनांक 2 सितम्बर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2020

No. 46/2020 -Customs (ADD)

G.S.R. 753(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/2/2020-DGTR, dated the 10th February, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 10th February, 2020, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of “Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under heading 7005 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from Peoples’ Republic of China (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 47/2015-Customs (ADD), dated the 8th September, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 687 (E), dated the 8th September, 2015;

And whereas, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject country up to and inclusive of the 7th December, 2020, *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.29/2020-

Customs (ADD), dated the 2nd September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 545(E), dated the 2nd September, 2020;

And whereas, the Central Government, having not come to the conclusion in the said review, considers it necessary to further extend the anti-dumping duty on the subject goods originating in or exported from the subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 47/2015-Customs (ADD), dated the 8th September, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 687(E), dated the 8th September, 2015, namely:-

In the said notification, in paragraph 3, for the figures and words “7th December, 2020”, the figures and words “6th February, 2021” shall be substituted.

[F. No. 354/115/2020-TRU]

JAINENDRA SINGH KANDHARI, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 47/2015-Customs (ADD), dated the 8th September, 2015 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 687(E), dated the 8th September, 2015 and was last amended by notification No. 29/2020-Customs (ADD), dated the 2nd September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 545(E), dated the 2nd September, 2020.